## गोतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश

जी.बी.यू./003/वित्त/5.38(Vol-III)/2018- 4925

दिनॉॅंकः 31.07.2018

समस्त स्कूल अधिष्ठाता/ प्रभारी अधिष्ठाता गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर।

विषयः शैक्षिक सत्र 2018-19 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु छात्र/ छात्राओं द्वारा वैबसाइट scholarship.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन नवीनीकरण (Renewal) और नवीन (Fresh) ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित समय-सीमा सूचित किये जाने के सम्बन्ध में।

शासनादेश सं० १३३/२०१८/१२१३/२६-३-२०१८-४(३५८)/०७२वै०सी०।।। दिनांक 02.05.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके क्रम में अवगत कराना है कि समाज कल्याण विभाग, अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग विभाग द्वारा सभी वर्गों (सामान्य वर्ग (GEN), अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक (MIN.) के विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षिक सत्र 2018-19 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पंजीकरण को नवीनीकरण (Renewal) एवं नवप्रवेशित (२०१८-१९) **छात्र-छात्राएं** छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नवीन (Fresh) ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.08.2018 उत्तर प्रदेश की <u>वैबसाइट scholarship.up.nic.in</u> पर प्रदर्शित हो रही है।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी सम्बन्धित छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन आवेदन करने हेतु शासनादेश से अवगत कराने का कष्ट करें। संलग्नकः यथोक्त।

> (पी०एस०चौधरी) नोडल अधिकारी/ वित्त अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुलपति महोदय, की निजी सचिव/ स्टाफ ऑफिसर को महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।

- 2. कुलसचिव।
- 3. अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण।
- 4. मुख्य अभिरक्षक (महिला/पुरुष) एवं समस्त छात्रावास अभिरक्षकों को छात्रावास सूचना पट पर लगवायें जाने हेतु।
- 5. चैयरपर्सन (परीक्षा) को इस आशय से प्रेषित कि गतवर्ष के अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को अंकतालिका उपलब्ध कराने की कार्यवाही अविलम्ब कराने का कष्ट करें।
- 6. सिस्टम मैनेजर, को इस आशय से प्रेषित कि जी०बी०यू० की बैवसाइट पर शीर्ष में शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सूचना ऑनलाइन प्रदर्शित कराना सुनिश्चित

नोडल अधिकारी/ वित्त अधिकारी

Gautam Bundha University Central Computer Center Received / File / Letter Date 02/08/18 Time 03:50

विषयः शैक्षिक सत्र 2018-19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह-1,2,3 एवं ४ से सम्बन्धित पाठ्यकम एवं कक्षा-11 व 12) योजनान्तर्गत मास्टर डाटाबेस तैयार करने सत्यापन लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित संशोधत समय-सारणी के सम्बन्ध मे।

महोदय.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में जैसा कि आप अवगत है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत पात्र छात्र-छात्राओं की त्वरित रूप से लाभान्वित किये जाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों में समन्वय स्थापित कर पब्लिक फाइनेन्स मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने से लेकर भुगतान करने के मध्य अन्य समस्त प्रक्रियागत कार्यवाही ऑन-लाइन अनिवार्य कर दी गयी है।

मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० सरकार द्वारा घोषणा की गयी है कि प्रत्येक जनपद में मा० प्रभारी मंत्री/ जनप्रतिनिधियों की उपस्थित में प्रतिवर्ष ०२ अक्टूबर व २६ जनवरी को छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया जाय। मा० उच्च न्यायालय ने उक्त याचिकान्तर्गत छात्रवृत्ति का वितरण दो किश्तो में दिये जाने के आदेश पारित किये हैं। मा० उच्च न्यायालय तथा मा० मुख्यमंत्री जी उ०प्र० के आदेशों के अनुपालन में निदेशालय के पत्र दिनांक ०२.०४.२०१८ द्वारा प्रस्तावित समय-सारणी का प्रस्ताव निम्नवत है:-

प्रकियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की प्रस्तावित समयाविध
	अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु
2	3
शमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति – समूह १,२,३, व ४ रे	सम्बन्धित पाठ्यक्रम के छात्रों हेतु।
छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	01 जुलाई से 31 अगस्त, 2018
	तक
छात्र द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों	छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण
(हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, निवास,	करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट
जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक एवं	निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों
आय तथा आधार नम्बर) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,	में।
लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टेडेन्ट सेक्शन में	
प्रदर्शित किया जाना।	
ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/ छात्राओं द्वारा	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के
वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	अन्दर विलम्बतम ०६ सितम्बर
	2018 तक।
छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी एवं	02 जुलाई से 12 सितम्बर 2018
संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण	तक।
संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन	
प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	
	2 शमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति – समूह 1,2,3, व 4 रे छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।  छात्र द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक एवं आय तथा आधार नम्बर) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर रटेडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।  ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/ छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सिहत शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।  छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन

6	छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का	13 सितम्बर से 15 नवम्बर 2018
	कारण संस्था द्वारा आनलाईन छात्र के सम्मुख अंकित किया	
	जाना एवं जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं	
	कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं	
	छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना।	
7	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया	13 सितम्बर से 20 सितम्बर 2018
	जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय	तक।
	विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से सत्यापन किया जाना एवं	
	एन०आई०सी० की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं	
	पर परीक्षण किया जाना। (नवीनीकरण के छात्रों के लिये)	
8	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के	24 सितम्बर 2018 तक।
	सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति तथा	
	शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना (नवीनीकरण के छात्रों के	
	लिये)।	
9	ज्नपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से	26 सितम्बर, 2018 तक।
	शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना (नवीनीकरण	
	के छात्रों के लिये)।	
1 0	ज्नपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से	28 सितम्बर, 2018 तक।
	लॉक डाटा के आधारपर नवीनीकरण के छात्रों का	
	एन०आई०सी० की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	
1 1	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से	०१ अक्टूबर, २०१८ तक।
	लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण के छात्रों को कोषागार	
	के ई-पेमेण्ट के तहत प्रणाली के माध्यम से छात्र-छात्राओं	
	के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	
12	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/ कार्यकम	०२ अक्टूबर, २०१८ तक।
	आयोजित करना।	
	दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन (Fresh) एवं अवशेष नवीनीकरण	(Renewal) के छात्र–छात्राओं हेतु।
13	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया	13 सितम्बर, 2018 तक।
	जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बन को भारतीय	
	विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से सत्यापन किया जाना एवं	
	एन०आई०सी० की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं	
	पर परीक्षण किया जाना।	
14	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सही डाटा के	३० अक्टूबर २०१८ तक।
	सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति	
	तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत एवं डिजिटल सिग्नेचर से सही	
	डाटा लॉक किया जाना।	

.

15	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सिहत, छात्र, संस्था एवं कल्याण	21 अक्टूबर 2018 से 01 नवम्बर,
	अधिकारियों के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं	2018 तक।
	ऑनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक	
	करके पुनः आवेदन ऑनलाइन आवेदन सबिमट किया जाना।	
16	ऑनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकॉपी	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के
	छात्र–छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नको सहित शिक्षण	अन्दर, विलम्बतम् ०४ नवम्बर,
- ×	संस्था में जमा किया जाना।	2018 तक।
17	छात्र–छात्राऐं द्वारा सही किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की	22 अक्टूबर 2018 से 07 नवम्बर
	हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र-छात्रा के समस्त	2018 तक।
7,14	विवरण का शिक्षण संस्था द्वारा मिलान किया जाना एवं	
	ऑनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं	
	अग्रसारित करना।	
18	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को	08 नवम्बर, 2018 से 22 नवम्बर,
	एन०आई०सी० की राज्य ईकाई मे विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं	तक।
	पर पुनः परीक्षण किया जाना।	
19	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र	28 नवम्बर, 2018 तक।
	द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा से अलग शुद्ध डाटा के	
	सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति	
10	तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना।	
20	जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर से	15 दिसम्बर, 2018 तक।
	शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	
21	जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से	20 दिसम्बर 2018 तक।
	लॉक डाटा के आधार पर एन०आई०सी० की राज्य इकाई से	
	मॉग सृजित कराना।	
22	जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से	31 दिसम्बर, 2018 तक।
	लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट के तहत	
	PFMS से छात्र-छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि	
	अंतरित किया जाना।	
23	प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/ कार्यक्रम	26 जनवरी, 2019 को।
	आयोजित कराना ।	

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सुसंगत छात्रवृत्ति नियमाविलयों में उल्लिखित प्राविधानों एवं उपरोक्त समय-सारणी के अनुसार शैक्षिक सत्र २०१८-१९ में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

S.D.

(राजीव कुमार) मुख्य सचिव